।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 1223 / 12-1, दिनांक, गोपेश्वर, सितम्बर 28 /2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग,

गौचर।

विषयः— जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिग्गर—सुगल्टा मोटर मार्ग के किमी0 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.805 है0 सिविल भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.056 है0 कुल 0.861 है0 सिविल भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग प्रस्ताव आप द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें निम्न कमियां पायी गई हैः—

1— प्रस्ताव में लगे प्रपत्र SOP के अनुसार नही लगाये गये है।

2— प्रस्ताव में विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो प्रपत्र के अनुसार सही नही है। प्रपत्र—9 में दिये गये दोनो समरेखण का विवरण अनुसार भरकर प्रस्ताव में संलग्न करे।

3—प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि का नाम रिक्त है, तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर के हस्ताक्षर एवं ग्राम प्रधान कोलाडुग्री के हस्ताक्षर रिक्त है।

4— प्रस्ताव में लगे SOP में दिये गये प्रपत्र सं0 के अनुसार प्रपत्र सं0 अंकित कर क्रमानुसार लगाये।

5— मक डिस्पोजल प्लान में मक डम्पिंग का मानचित्र, फोटो एवं उपचार योजना संलग्न नही किया गया है।

6— प्रस्ताव में प्रपत्र भाग—1 में दिनांक रिक्त है।

अतः उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की चार प्रतियां संलग्न कर इस आशय से लौटाया जा रहा है कि उपरोक्त बिन्दुओ का निराकरण करते हुए SOP के अनुसार प्रपत्र प्रस्ताव में संलग्न करे।

संलग्नः— SOP विषय सूची तथा प्रस्ताव की चार प्रति।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Received

J E Amit Kumar

JE

29/9/2021